

भारत सरकार
आयुष मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 251

03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत राज्य वार्षिक कार्य योजना

251. श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

श्री अनुराग शर्मा:

डॉ. टी सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन:

क्या आयुष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केंद्र सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के तहत तमिलनाडु और अन्य राज्यों की राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत तमिलनाडु को आयुष अस्पतालों/स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना और विभिन्न शीर्षों के तहत आवर्ती व्यय के लिए शामिल धनराशि सहित कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और
- (ग) पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु सहित देश में आयुष चिकित्सा प्रणाली और बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं और इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उत्तर

आयुष मंत्री (श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तहत, आयुष मंत्रालय ने एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की प्रस्तुत राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु सहित एसएएपी के अनुमोदन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत स्थिति **संलग्नक-I** पर दी गई है।

(ख): एनएएम के तहत, वर्ष 2022-23 के दौरान एसएएपी के माध्यम से तमिलनाडु राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार, आयुष मंत्रालय ने एनएएम दिशानिर्देशों के प्रावधान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को धन अनुमोदित/आवंटित किया है, जिसमें आयुष अस्पतालों, स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों की स्थापना और अन्य आवर्ती गतिविधियां शामिल हैं। गतिविधि-वार अनुमोदित/आवंटित निधियों की स्थिति **संलग्नक-II** पर दी गई है।

(ग): आयुष मंत्रालय तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के माध्यम से एनएएम को कार्यान्वित कर रहा है और उनकी राज्य वार्षिक कार्य योजनाओं (एसएएपी) में प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप एनएएम दिशानिर्देश के प्रावधान के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के तहत, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके अवसंरचनात्मक विकास सहित आयुष चिकित्सा पद्धति के समग्र विकास के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रयासों का समर्थन कर रहा है। मिशन अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित गतिविधियों के लिए प्रावधान करता है:-

- i. आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र
- ii. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) और जिला अस्पतालों (डीएच) में आयुष सुविधाओं की सह-स्थापना
- iii. मौजूदा एकल सरकारी आयुष अस्पतालों का उन्नयन
- iv. उन क्षेत्रों में मौजूदा सरकारी/पंचायत/सरकारी सहायता प्राप्त आयुष औषधालयों का उन्नयन/मौजूदा आयुष औषधालय (किराए पर/जीर्ण-शीर्ण आवास पर) के लिए भवन का निर्माण/नए आयुष औषधालय की स्थापना के लिए भवन का निर्माण, जहां कोई आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं
- v. 10/30/50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना
- vi. राजकीय आयुष अस्पतालों, राजकीय औषधालयों और सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थागत आयुष अस्पतालों को जरूरी दवाइयों की आपूर्ति
- vii. आयुष जन स्वास्थ्य कार्यक्रम
- viii. व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण(बीसीसी)
- ix. राज्य और जिला स्तर पर गतिशीलता सहायता
- x. आयुष ग्राम
- xi. उन राज्यों में नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना जहां सरकारी क्षेत्र में आयुष शिक्षण संस्थानों की उपलब्धता अपर्याप्त है
- xii. आयुष स्नातक-पूर्व संस्थानों का अवसंरचनात्मक विकास
- xiii. आयुष स्नातकोत्तर संस्थानों/एड ऑन पीजी/फार्मेसी/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों का अवसंरचनात्मक विकास

एनएएम के तहत, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचनात्मक विकास सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के समग्र विकास के लिए प्रस्तुत एसएएपी के अनुरूप आवंटित/अनुमोदित धन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **संलग्नक-III** पर दिया गया है।

एनएएम के तहत एसएएपी के अनुमोदन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	एसएएपी का अनुमोदन (केंद्र+राज्य) (लाख रुपये में)
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	284.783
2.	आंध्र प्रदेश	2186.080
3.	अरुणाचल प्रदेश	1786.840
4.	असम	4496.770
5.	बिहार	9311.916
6.	चंडीगढ़	758.938
7.	छत्तीसगढ़	4079.120
8.	दादरा व नगर हवेली और दमण व दीव	1208.770
9.	गोवा	949.904
10.	गुजरात	6362.085
11.	हरियाणा	2710.900
12.	हिमाचल प्रदेश	8607.956
13.	जम्मू-कश्मीर	7251.980
14.	झारखंड	25841.898
15.	कर्नाटक	5713.620
16.	केरल	9777.401
17.	लद्दाख	289.060
18.	लक्षद्वीप	232.644
19.	मध्य प्रदेश	11441.777
20.	महाराष्ट्र	5084.440
21.	मणिपुर	7657.800
22.	मिजोरम	521.200
23.	मेघालय	3541.529
24.	नागालैंड	2203.460
25.	ओडिशा	5175.642
26.	पुडुचेरी	2079.875
27.	पंजाब	1305.320
28.	राजस्थान	17055.073
29.	सिक्किम	695.630
30.	तमिलनाडु	11701.623
31.	तेलंगाना	3847.270
32.	त्रिपुरा	2290.896
33.	उत्तर प्रदेश	48125.322
34.	उत्तराखंड	5499.260
35.	पश्चिमी बंगाल	7043.878
	कुल	227120.660

एनएएम के तहत 2022-23 के दौरान तमिलनाडु को स्वीकृत/आवंटित धन की गतिविधि-वार स्थिति

(लाख रूपए में)

क्र. सं.	गतिविधि	आवर्ती	गैर-आवर्ती	कुल
1.	आयुष स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र	2164.60	2740.000	4904.60
2.	आयुष औषधालयों को आवश्यक दवाओं की आपूर्ति	1641.00	00	1641.00
3.	आवश्यक दवाओं और उपभोग्य सामग्रियों की आपूर्ति	750.00	00	750.00
4.	गतिशीलता समर्थन	50.600	00	50.600
5.	स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए दवा की आपूर्ति	00	00	00
6.	मस्कुलोस्केलेटल विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	450.000	00	450.00
7.	वयो मित्र आयुष वृद्धावस्था स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं	120.000	00	120.00
8.	जिस क्षेत्र में आयुष सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां नवीन आयुष औषधालय की स्थापना।	00	30.000	30.000
9.	जिला अस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना	00	175.00	175.00
10.	नमक्कल में 50 एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना	00	200.00	200.00
11.	तमिलनाडु में 30 स्थानों पर पीएचसी में आयुष ओपीडी क्लीनिक की स्थापना	00	600.00	600.00
12.	10 जिलों में आयुष मोबाइल मेडिकल यूनिट की स्थापना	94.25	00	94.25
13.	पिछले वर्ष एसएएपी 2021-22 के लिए चालू गतिविधि स्वीकृत शेष अनुदान	838.413	46.50	884.913
14.	गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना	00	20.00	20.00
15.	गवर्नमेंट योग एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में प्रोजेक्टर, स्क्रीन, लैपटॉप के साथ स्मार्ट क्लास रूम की स्थापना	00	15.00	15.00
16.	गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज, चेन्नई में स्मार्ट क्लास की स्थापना	00	15.00	15.00
17.	डिंडुगुल जिले के पलानी में आयुष अस्पतालों का उन्नयन कर नए आयुष महाविद्यालयों की स्थापना	00	1000.00	1000.00
18.	योग वेलनेस सेंटर	204.000	00	204.000
19.	38 आयुष वेलनेस केंद्रों में लगे कर्मियों को देय किराया शुल्क	228.00	00	228.00
20.	दवाओं और जनशक्ति की आपूर्ति के लिए दो जनजातीय इकाइयां	34.360	00	34.360
21.	स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए जनशक्ति	135.000	00	135.000
22.	आयुष अस्पतालों और औषधालयों में कार्यरत एमओ/एमओ/परामर्शदाताओं के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण	10.000	00	10.000
23.	व्यवस्थापक लागत	139.900	00	139.900
	कुल	6860.123	4841.500	11701.623

एनएएम के तहत पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आवंटित/अनुमोदित धन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा
(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23
		आवंटित/ अनुमोदित	आवंटित/ अनुमोदित	आवंटित/ अनुमोदित	आवंटित/ अनुमोदित	आवंटित/ अनुमोदित	आवंटित/ अनुमोदित
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप	302.330	317.886	365.418	251.808	296.061	284.783
2.	आंध्र प्रदेश	1960.020	2133.677	3167.657	642.335	0.000	2186.080
3.	अरुणाचल प्रदेश	606.340	608.754	425.922	753.433	200.944	1786.840
4.	असम	2656.324	820.364	1779.247	385.722	710.578	4496.770
5.	बिहार	0.000	0.000	4435.497	860.892	2810.128	9311.916
6.	चंडीगढ़	490.520	52.552	0.000	195.808	94.864	758.938
7.	छत्तीसगढ़	2044.592	1778.113	0.000	4485.110	1402.182	4079.120
8.	दादरा नगर हवेली और दमण दीव	143.403	72.010	63.854	0.000	0.000	1208.770
9.	गोवा	437.447	244.830	197.752	109.980	364.980	949.904
10.	गुजरात	2123.990	2934.758	3716.152	406.685	778.210	6362.085
11.	हरियाणा	1414.070	2002.268	3832.458	5057.370	1079.504	2710.900
12.	हिमाचल प्रदेश	798.808	2118.900	2273.210	549.933	1402.000	8607.956
13.	जम्मू-कश्मीर	1102.871	1329.697	2053.932	2539.723	1513.105	7251.980
14.	झारखंड	0.000	0.000	2537.186	0.000	2182.942	25841.898
15.	कर्नाटक	3433.110	4480.520	2986.182	3640.618	3035.767	5713.620
16.	केरल	3493.723	4329.730	2567.558	3895.979	1922.313	9777.401
17.	लद्दाख	0.000	0.000	0.000	0.000	187.454	289.060
18.	लक्षद्वीप	63.747	0.000	426.878	19.605	64.257	232.644
19.	मध्य प्रदेश	5099.473	4715.210	6687.245	9347.721	5205.330	11441.777
20.	महाराष्ट्र	2973.808	0.000	7181.072	0.000	0.000	5084.440
21.	मणिपुर	1488.140	1368.087	1007.861	635.244	188.933	7657.800
22.	मिजोरम	770.531	803.043	221.678	730.810	287.870	521.200
23.	मेघालय	820.282	0.000	386.899	275.522	677.533	3541.529
24.	नागालैंड	1685.462	1023.188	1056.200	1394.322	258.078	2203.460
25.	ओडिशा	2601.700	1787.890	1210.160	1194.400	1792.300	5175.642
26.	पुडुचेरी	239.995	445.520	238.416	79.445	333.788	2079.875
27.	पंजाब	2247.772	62.421	1925.823	149.620	878.800	1305.320
28.	राजस्थान	11488.760	5036.957	3312.658	3794.000	5315.000	17055.073
29.	सिक्किम	200.097	300.351	367.326	389.379	110.334	695.630
30.	तमिलनाडु	4648.453	3877.175	3323.188	1027.633	3913.780	11701.623
31.	तेलंगाना	1758.521	1150.604	1556.968	0.000	5220.420	3847.270
32.	त्रिपुरा	1328.378	742.967	0.000	300.088	154.122	2290.896
33.	उत्तर प्रदेश	10467.050	19756.918	13206.150	17289.763	23016.206	48125.322
34.	उत्तराखंड	2206.774	1878.090	917.044	729.398	2913.893	5499.260
35.	पश्चिमी बंगाल	2758.244	3820.698	3082.900	412.243	3530.075	7043.878
	कुल	73854.736	69993.178	76510.491	61544.589	71841.751	227120.660